



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
चिन्गालीसौड़ उत्तरकाशी

Tele Phone No:-01371-237093
Fax No:-01371-237093
Email ID:-
cepmgsyidchinyalisaur@rediffmail.com

पत्रांक:- 526 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / चि०सौड़
सेवामें,

दिनांक 15 जुलाई, 2020

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
कोटबंगला उत्तरकाशी


विषय:- जनपद उत्तरकाशी में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम खण्ड मोटर मार्ग से कटखण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.89 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव-FP/UK/ROAD /32670/2018 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 8बी/यू.सी.पी./06/19/2020/एफ०सी०/2753 Dated on 26/02/2020.
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयगत प्रकरण पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़, देहरादून द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	In village level committee meeting proceedings, name of Gram Panchayat is mentioned as katkhan but name of village is mentioned as Jogata Talla in the 3 rd para which is required to be corrected.	Name of village as Katkhan has been corrected in Para 3 rd of village level committee meeting certificate and uploded in adional information details section.
2.	In the name of Wild Life Management Plan, as estimate of Rs.3864000/- has been submitted with the proposal which cannot be approved as the items mentioned in the estimate is not relevant to this small project. A proper scientific WL Management Plan covering the details like the scenario after the construction of project, impact of project on Wildlife of the area and finally the mitigation measures to minimize the impact of project on Wildlife is required to be submitted.	This objection will be resolved by DFO Uttarkashi.
3.	It is seen that plantation scheme for ten times the number of trees to be felled is submitted. Since, the area of forest land proposed for diversion is 0.89 ha or for planting 1800 trees.	This objection will be resolved by DFO Uttarkashi.
4.	DFO has not given any comment against para 5.5 of Site Inspection Report. Besides, there is some handwritten text added later. State Government may submit the SIR of DFO mentioning comments against each para.	This objection will be resolved by DFO Uttarkashi.
5.	It is seen from data given at para-14 of Part II that the CA stipulated i.e. 2350.58 ha is not commensurate to the area of forest land diverted i.e. 1540.68 ha and progress of CA i.e. 2563.75 ha is more than CA stipulated. Logically CA stipulated should be double the area of forest land diverted.	This objection will be resolved by DFO Uttarkashi.

6.	<p>प्रस्तावित मार्ग से बाँज के भी अनेक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा इसे मुख्य ग्राम से आगे तोक तक बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः राज्य सरकार मुख्य ग्राम 'कटखन' तक ही प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करें।</p>	<p>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से प्रस्तावित कटखन मोटर मार्ग का अन्तिम बिन्दु क्यारगटी तोक ग्राम कटखन के अन्तर्गत आता है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अन्य ग्रामीणों के भवन छान एवं कृषि भूमि स्थित है। ग्राम कटखन की क्यारगटी नामि तोक सहित ग्राम कटखन कोड संख्या 0057300 जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) कुल आबादी 251 है, ग्राम कटखन की प्रस्तावित मोटर मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से पैदल दूरी 2.00 किमी० है, क्यारगटी तोक में ग्राम पंचायत कटखन के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल एवं हाईस्कूल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, क्यारगटी तोक में 500 मी० दूरी पर राष्ट्रीय सन्त श्री गोपालमणी जी द्वारा गायों एवं आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु गोशाला एवं आश्रम बनवाया गया है जिसमें देश एवं विदेश के पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है एवं उक्त क्षेत्र का धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, ग्राम कटखन के क्यारगटी नामि तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत की सर्वसहमति से एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार प्रस्तावित है एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग में मात्र 27 बाँज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जो कि न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 2.20 किमी की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त है। अतः मोटर मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई 2.20 किमी० तक मार्ग निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है।</p> <p>अतः यह प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों से हस्ताक्षरित कर additional information details section में अपलोड कर दिया गया है।</p>
----	---	---


 अधिशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
 चिन्वालीसौड़ उत्तरकाशी।